अखिलेश यादव
akhileshyadav.edu@gmail.com

भारत में समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विकास क्रम: विभिन्न नीतियों, दस्तावेज़ों एवं अधिनियमों के आईने में

सार

पहली बार विशेष शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी योजना 1960 में दृष्टि बाधित बच्चों के शिक्षण योजना हेतु शिक्षक तैयारी की बात की गई। योजना आयोग ने सन् 1971 ई. में एकीकृत शिक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात भारत सरकार ने दिसम्बर, 1974 में विशेष आवश्यकता (दिव्यांग) वाले बच्चों के लिए एकीकृत योजना प्रारंभ किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं यूनिसेफ़ के सहयोग से 1987 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना (पी.आई.ई.डी.) एकीकृत शिक्षा की प्रयोगात्मक रूपरेखा प्रदान करता हैं। अंतराष्ट्रीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए 'सलमांका सम्मेलन ' 1994, मील का पत्थर साबित हुआ जो जून 1994 में स्पेन के सलमांका शहर में आयोजित हुआ जिसमें 92 देशों के प्रतिनिधि व 25 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का प्रमुख निर्णय था 'सभी के लिए शिक्षा, जिसमें बच्चे, युवा और विशेष आवश्यकता वाले लोगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्रदान करना।' सन् 1997 में विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के लिए एकीकृत योजना को ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत मिला दिया गया। 90 के दशक के अन्तिम समय में (अर्थात 1997) ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अर्न्तगत भारत में समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण को समाहित किया गया, ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने पाठ्यचर्या से संबंधित मुख्य मुद्दों को संबोधित किया, जैसे- 'कुछ बच्चों की पाठ्यक्रम तक पहुंच को कौन से कारक सीमित करते हैं। पूर्ण पाठ्यक्रम का उपयोग करने हेतुहेतु क्या-क्या संशोधनों की आवश्यकता है, आदि'। भारत में समावेशी शिक्षा के लिए वर्ष 2009 महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी वर्ष ' शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पारित किया गया, जिसने 'सभी के लिए शिक्षा' को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के लिए एकीकृत योजना 100 हजार बच्चों को प्रभावित कर पाई थी।

मुख्य शब्द: समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चें, नीतियाँ, समावेशन।

प्रस्तावना

स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने-चुने बच्चों को ही बार-बार चुनते रहते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फ़ायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे बार-बार उपेक्षित महसूस करते हैं और स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है। तारीफ़ करने के लिए हम श्रेष्ठता और योग्यता को आधार बना सकते हैं लेकिन अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को भी पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। इसमें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें दिए गए काम को पूरा करने में ज़्यादा समय या मदद की ज़रूरत होती है। ज़्यादा अच्छा होगा अगर शिक्षक ऐसी गतिविधियों की योजना बनाते समय कक्षा में बच्चों से चर्चा करें और यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक बच्चा अपना योगदान दे पाए। इसीलिए योजना बनाते समय, शिक्षकों को सभी की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यह उनके प्रभावी शिक्षक होने का सूचक बनेगा। स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि जब भिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध तथा प्रेरक हो जाता है।

समावेशी शिक्षा केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि एक माध्यम भी है, विशेष कर उन लोगों के लिए जिनमें कुछ सीखने की ललक होती है और जो तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि सभी युवा चाहे वो सक्षम हों या अक्षम (दिव्यांग) उन्हें सीखने योग्य बनाया जाए। इसके लिए एक समान स्कूल पूर्व व्यवस्था, स्कूलों और सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना बेहद ज़ रूरी है। प्रशिक्षुओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह प्रक्रिया सिर्फ लचीली शिक्षा प्रणाली में ही संभव है। ' समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें मूल्यों, ज्ञान प्रणालियों और संस्कृतियों में प्रक्रियाओं और संरचनाओं के सभी स्तरों पर समावेशी नीतियों और प्रथाओं के सृजन के माध्यम से हर पढ़ने वाला बुनियादी अधिकारों यथा शारीरिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक और स्थिति जन्य आवश्यकताओँ के साथ सभी नागरिक अधिकारों को प्राप्त कर पाता है' (एन.सी.ई.आर.टी. 2016)।

यूनिसेफ़ समावेशी शिक्षा के बारे में बताता है कि हम पारंपरिक स्कूलों के लिए नियमित रूप से स्कूल प्रणाली के भीतर सीखने के अवसर उन्हें उपलब्ध करते हैं, जो पारंपरिक रूप से ब हिष्कृत किये गए हैं जैसे कि- दिव्यांग बच्चे, अन्य (भाषायी अल्पसंख्यक, सामाजिक पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर, शिक्षित पिछड़े आदि)। यदि इन्हें स्कूलों में

अलग किया जाता है तो ये दिव्यांग और अन्य (भाषायी अल्पसंख्यक, सामाजिक पिछड़ें, आर्थिक रूप से कमज़ोर, शिक्षित पिछड़े आदि) बच्चों को उचित शिक्षण अवसर नहीं प्राप्त होता हैं तो वे समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि वह शिक्षा जिसमें दिव्यांग एवं अन्य सामान्य विद्यार्थियों को एक साथ एक ही कक्षा में भेदभाव रहित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाये। जिससे ये दिव्यांग विद्यार्थी समाज में आसानी से समायोजित हो जाएं।

एन.सी. एफ़ -2005 में बताया गया है कि समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, ख़ास कर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज्यादा फ़ाय दे मिलें।

समावेशी शिक्षा से संबंधित विभिन्न शिक्षा आयोग, नीतियाँ, अधिनियम एवं दस्तावेज़

भारतीय संविधान में समावेशी समाज की संकल्पना हेतुहेतु अनेक प्रावधानों का वर्णन प्राप्त होता हैं, जैसे कि वर्णित हैं अनुच्छेद (आर्टिकल)-14 में 'कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं'। अनुच्छेद-15 में 'राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या विशेष आवश्यकता में से किसी भी आधार पर भेदभाव नही करेगा। अनुच्छेद-41 में 'एच्छिक कार्य करने का अधिकार'। अनुच्छेद-45 में राज्य 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को प्रारंभिक बा ल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करे'। संविधान के 86 वें संशोधन (2002) के द्वारा अनुच्छेद-21 (क) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग-1952-53 की स्थापना 23 सितम्बर 1952 को हुई थी, यह आयोग विशेषतः माध्यमिक शिक्षा से संबंधी सुझाव प्रस्तुत करने हेतुहेतु गठित किया गया था। इसने अपने सुझाव जून 1953 में प्रस्तुत किये। इस आयोग ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में केवल स्कूलों की स्थापना पर बल देने की बात की है। जैसा कि आयोग ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में विशेष शिक्षा स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। और आयोग बताता है कि विभिन्न देशों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांगों) के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। कुछ उन्नत देशों में मानसिक और शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की एक नियमित प्रणाली स्थापित की गई है। प्रत्येक राज्य में ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्कूल होने चाहिए जहाँ विशेष रूप से उनकी आवश्यकता के अनुकूल प्रक्रिया अपनायी जा सके। सामान्य बच्चों की सहज प्रगति के हित में भी यह आवश्यक है। दुर्भाग्य से भारत में बड़ी संख्या में दृष्टिहीन, श्रवण हीन और वाक हीन प्रकृति के बच्चे हैं। वर्तमान में ऐसे बच्चों के लिए केवल कुछ संस्थान हैं। हमने उनमें से कुछ को देखा है और हमें यह जानकर ख़ुशी हुई कि दृष्टिहीनों को उत्कृष्ट निर्देश प्रदान किए जा रहे थे और उन्हें बुनाई, कताई, टोकरी बनाने, रतन का काम, लकड़ी का काम, संगीत, आदि जैसे उपयोगी अवतारों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। यह भी ध्यान दें कि भारत सरकार ने दृष्टिहीनों के लिए सभी स्कूलों में उपयोग के लिए एक समान ब्रेल कोड विकसित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। 'विशेष आवश्यकता वाले विद्यालयों को आवश्यक रूप से आवासीय होना चाहिए जहां बच्चों को कुछ वर्षों तक रखा जा सकता है जब तक वे कुछ उपयोगी व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त नहीं हो जाते हैं। म गर विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के इस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे स्कूलों की संख्या में काफ़ी वृद्धि करने की आवश्यकता है। विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के स्कूलों के अलावा कुछ राज्यों में विशेष स्कूल भी हैं जहां तपेदिक या गंभीर शारीरिक विकृति जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को खुली हवा में रखा और शिक्षित किया जाता है। कई पश्चिमी देशों में, ऐसे बच्चों को विशेष ओपन-एयर स्कूल में समायोजित किया जाता है, जहां चिकित्सा उपचार के साथ-साथ उनके लिए एक उपयुक्त प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। हम अनुशंसा करते हैं कि ऐसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए कुछ केंद्रों में ऐसी संस्थाएं शुरू की जानी चाहिए। इन्ही बिन्दुओं के माध्यम से आयोग विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में अपनी बात करता है जिसमें आयोग केवल भौतिक सुविधा बढ़ाने की सिफ़ारिशें प्रस्तुत करता है। क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों में सबसे बड़ी कमी संरचनात्मक ही रही है, इसी की अभिपूर्ति हेतु आयोग ने अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत की हैं।

कोठारी आयोग-1964-66 यह बताने वाला पहला शिक्षा आयोग था कि 'विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों की शिक्षा का आयोजन केवल दया भाव के कारण नहीं बल्कि उनके अधिकार व उनकी समाज के लिए ज़रूरत के कारण किया जाना चाहिए। यद्यपि भारतीय संविधान ने विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों सहित सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा के संबंध में विशिष्ट निर्देश प्रदान किये थे किन्तु इस संबंध में बहुत कम काम किया गया है। आयोग ने इस बात पर स्पष्ट रूप से ज़ोर देते हुए बताया कि विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों की शिक्षा 'सामान्य शिक्षा प्रणाली' का अविभाज्य अंग होना चाहिए। जिस समय इस आयोग ने अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत कीं उस समय 250 से अधिक विशेष विद्यालय मौजूद थे। आयोग ने 1986 तक 15 प्रतिशत दृष्टिहीन, श्रवणह्रास एवं अस्थि विकलांगों (दिव्यांगों) तथा 5 प्रतिशत मानसिक मंद विकलांगों (दिव्यांगों) हेतु

शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। आयोग ने इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु एकीकृत शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया क्योंकि यह विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ आपसी समझ विकसित करने में प्रभावी और उपयोगी होता है। आयोग ने विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों की शिक्षा एवं मुद्दों हेतु धन आवंटन पर विस्तार से प्रस्ताव दिया एवं बताया कि- शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकलांगों (दिव्यांगों) के विकास हेतु आवश्यक धन आंवटन किया जाना चाहिए और एन.सी.ई.आर.टी को विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के अध्ययन हेतु एक प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित करना चाहिए। प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य देश और विदेश में हो रहे अनुसंधान के साथ सम्पर्क में रहना एवं शिक्षकों के लिए सामग्री निर्माण करना होगा। (कोठारी आयोग. पृष्ठ. 124)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों संबंधी सिफ़ा रिशों का वर्णन किया गया हैं। शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों (दिव्यांगों) की शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिंदगी जियें। इस संबंध में निम्नलिखित प्रयास किये जायेगें- 1. विशेष आवश्यकता (दिव्यांगता) अगर हाथ पैर की या मामू ली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो। 2. गंभीर रूप से विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के लिए छात्रावास वाले ख़ास स्कूलों की ज़ रूरत का प्रबंध किया जाए। इस प्रकार के स्कूल, जहॉ तक संभव होगा, ज़िला मुख्यालयों में बनाए जाए। 3. विकलांगों (दिव्यांग) के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। 4. शिक्षकों, खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों, के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जाए ताकि वे विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझ कर उनकी सहायता कर सकें। 5. विकलांगों (दिव्यांगों) की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहन किया जाए।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम वर्ष 1987 में लागू किया गया, इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था कि मानसिक रोगी व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करके उनका सर्वोत्तम उपचार किया जाये।अधिनियम मुख्यतः मानसिक विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) व्यक्तियों के उपचारात्मक उपाय, सामाजिक एवं चिकित्सीय देखभाल तथा अधिकारों का वर्णन करता हैं, अधिनियम मानसिक रोगियों को चिकित्सा, सुरक्षा, देखभाल एवं पालन-पोषण के अधिकार के प्रावधानों का वर्णन करता हैं।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम सन् 1992 में पारित किया गया एवं 22 जून 1993 से लागू हो गया। वर्ष 2000 में इस अधिनियम में आमू ल संशोधन किया गया। विशेष आवश्यकता (दिव्यांगता) के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण में सुधार हेतु इस अधिनियम को लाया गया। इस अधिनियम में कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात की गई, जैसे कि- विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों को नियमित करना; विशेष आवश्यकता (दिव्यांग) वाले समूह के साथ काम करने वाले विभिन्न श्रेणी के व्यावसायिकों (शिक्षक, चिकित्सक एवं शोधार्थी) की शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु एक न्यूनतम मानक प्रस्तावित करना। उन सभी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जो विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) व्यक्तियों के पुनर्वास के विषय पर उपाधि, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाते हैं; मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की सूची केन्द्रीय पुनर्वास पंजीकरण में रखना: पुनर्वास एव विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1992 में की गई। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के द्वारा ही भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई। भारतीय पुनर्वास परिषद ही देश में विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम एवं विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षक कार्यक्रम की संचालन एवं निगरानी करता हैं।

विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों (दिव्यांग) के लिए अधिनियम सन् 1995 में पारित किया गया, अधिनियम का पूरा नाम- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों (दिव्यांगों) के लिए (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं सहभागिता) अधिनियम, 1995 हैं। यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 से लागू हो गया। इस अधिनियम में सात प्रकार की विशेष आवश्यकताओं (दिव्यांगता) का वर्णन किया गया हैं जैसे कि- 1. अंधत्व, 2. अल्प दृष्टि, 3. श्रवणबाधा, 4. मानसिक मंदता, 5. मानसिक रूग्णता, 6. गामक बाधा, 7. कोढ़ उपचारित। पुनर्वास सम्बन्धी सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु विशेष आवश्यकता (दिव्यांगता) का 40 प्रतिशत होना निर्धारित किया गया। इस अधिनियम में कुल चौदह अध्याय हैं, जिनमें से कुछ अध्यायों में समावेशी, समावेशन एवं समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया हैं, यथा- अध्याय- 4 में सरकारी एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्तता (दिव्यांगता) का शीघ्र निदान एवं रोकथाम के प्रावधानों के बारे में बताया गया हैं। अध्याय-5 निःशक् तों (दिव्यांगों) की शिक्षा के बारे में वर्णन करता हैं कि सरकारें एवं स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि- निःशक्त (दिव्यांग) बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। निःशक्त (दिव्यांग) विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण के संवर्धन के प्रयास करें। जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है उनके लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना का प्रयास किया जाए, निःशक्त (दिव्यांग) बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाये। ऐसे निःशक्त (दिव्यांग) बच्चें जिन्होनें 5 वी कक्षा तक शिक्षा पूरी कर ली है किन्तु पूर्णकालिक आधार पर अपना अध्ययन चालू नही रख सकते एवं 16 वर्ष या उसके ऊपर की आयु समूह के बच्चों के क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था के लिए अंशकालिक कक्षाओं के संचालन का प्रबन्ध करना, निःशक्त (दिव्यांग) बच्चों के लिए खुले एवं दू रस्थ विद्यालय तथा खुले विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे की शिक्षा प्रदान करना, निःशक्तों

(दिव्यांगों) की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम की पुर्न संरचना करना आदि संबंधी प्रावधानों का वर्णन प्राप्त होता हैं। अध्याय-6 में निःशक्त (दिव्यांग) व्यक्तियों के रोज़गार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया हैं, जिसमें वर्णित है - विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में 3 प्रतिशत नौकरियाँ आरक्षित रखी जाएं तथा ये 3 प्रतिशत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एव गामक बाधित निःशक्तों (दिव्यांगों) के लिए हो (प्रत्येक हेतु 1 प्रतिशत) और सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं शैक्षिक संस्थाएं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं निःशक्त (दिव्यांग) बच्चों के लिए कम से कम 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करेंगे, संबंधी प्रावधान किये गये हैं। अध्याय-8 में निःशक्त (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण के सम्बन्ध में प्रावधान हैं, जिसमें बताया गया हैं कि निःशक्त (दिव्यांग) अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रशिक्षण केन्द्र, मनोरंजन स्थल, निर्वाचन केन्द्र, कार्य क्षेत्र और सभी सार्वजनिक स्थलों की समस्त सुविधाओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकें, इसके लिए सरकार इस बात की स्पष्ट घोषणा करती है कि विशेष आवश्यकता वाले सभी सार्वजनिक स्थलों का बाधारहित होना अनिवार्य है, इसके लिए विशेष आवश्यकता वाले सार्वजनिक स्थलों एवं इमारतों में रैंप, निःशक्तों के अनुकूल शौचालय सुविधा, लिफ़्ट तथा लिफ़्ट आदि में ब्रेल चिह्न व श्रव्य संकेत, अस्पतालों में रैंप व ऐसे ही अनुकूली साधन उपलब्ध हो, सुनिश्चित किया जाए। यह अधिनियम निःशक्त (दिव्यांग) बच्चों की भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष बल देता है, जिसमें निःशक्त (दिव्यांग) बच्चों की संरचनात्मक बाधाओं को समाप्त कर मुख्य धारा के समाज के साथ समावेशित किया जा सके। साथ ही यह शैक्षिक समावेशन की भी बात करता है जो कि एकीकृत शिक्षा के माध्यम से पू रा कराने का वर्णन करता है। इसी अधिनियम में विकलांगों (दिव्यांगों) को सुवि धाऐं प्राप्त करने हेतु बैंचमार्क का निर्धारण किया जाता है। इस अधिनियम पर सलमांका विवरण का पूरा प्रभाव पड़ा है, कहा जा सकता हैं कि सलमांका विवरण के कारण ही यह अधिनियम अस्तित्व में लाया गया।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 में पारित किया गया, इस अधिनियम का पू रा नाम 'राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, (स्वलिनता, प्रमास्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु विशेष आवश्यकता (दिव्यांगता) प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु) 1999 है। यह अधिनियम चार विशेष आवश्यकता व्यक्तियों के लिए है यथा- 1. स्वलीनता, 2. प्रमास्तिष्क पक्षाघात, 3. मानसिक मंदता, 4. बहु विशेष आवश्यकता। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य थें निःशक्त (दिव्यांग) व्यक्ति जिस समुदाय से है उसमें यथा संभव पास रह सके; इतना उन्हें समर्थ एवं सशक्त किया जाए कि वे स्वतंत्रता व पूर्णता के साथ जीवन जी सकें, निःशक्त (दिव्यांग) व्यक्तियों को सहारा देने योग्य सुविधाओं का प्रबलीकरण हो, निःशक्त (दिव्यांग) व्यक्तियों के अभिभावक या संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर उनकी देखभाल व संरक्षण की व्यवस्था करना, इस प्रकार के निःशक्त (दिव्यांग) व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी को साकार करने के लिए सुविधा ए प्रदान करना। यह अधिनियम विशेषतः चिकित्सीय देखभाल एवं सामाजिक समावेशन पर बल देता है साथ ही यह अधिनियम विशेष आवश्यकता के चार प्रकार (स्वलिनता, प्रमास्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविशेष आवश्यकता (दिव्यांगता), की विशेष आवश्यक ओं (दिव्यांगताओं) वाले व्यक्तियों हेतु सामुदायिक सहभागिता एवं समुदाय में सुलभ रूप से जीवन यापन की विशेष बात करता हैं। इस अधिनियम का कहना है कि इस प्रकार की विशेष आवश्यकता (दिव्यांगता) से युक्त व्यक्तियों की देखभाल एवं समावेशन की आवश्यकता है। यह अधिनियम विशेष आवश्यकता (दिव्यांगता) के चैरिटी प्रतिमान पर विशेष केन्द्रित करता है।

सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन 2000-2001 से किया जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में विशेष आवश्यकता (दिव्यांग) के संदर्भ में कुछ प्रावधानों का वर्णन प्राप्त होता है जैसे कि- विशेष प्रस्ताव के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों को शामिल करने के लिए प्रति वर्ष 1200 रूपये तक प्रति बच्चे धनराशि आवंटन, 1200 रूपये प्रति बच्चे के प्रतिमान के तहत विशेषतः ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ज़ि ला योजना का प्रावधान, संसाधन संस्थान की संलग्नता को बढ़ावा दिया जाए। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विशेष आवश्यकता (दिव्यांगा) वाले बच्चों के लिए शिक्षा के विभिन्न घटकों का वर्णन मिलता हैं जैसे- 1. सरल खोज एवं पहचान, 2. कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, 3. शैक्षिक स्थानन (प्लेसमेंट), 4. उपकरण एवं मदद सामग्री, 5. समर्थन सेवाएँ, 6. शिक्षक प्रशिक्षण, 7. संसाधन समर्थन, 8. व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, 9. अभिभावक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक जुटाव, 10. योजना एवं प्रबंधन, 11. विशेष विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, 12 वास्तु बाधाओं को दूर करना, 13. अनुसंधान, निगरानी एवं मूल्यांकन, 14. विशेष आवश्यकता (दिव्यांग) युक्त लड़कियाँ। आदि विशेष आवश्यकता (दिव्यांग) से जुड़े घटकों की चर्चा सर्व शिक्षा अभियान के सिद्धान्त में प्राप्त होती हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) का उद्देश्य; योजना के अर्न्तगत सार्वभौमिक प्रारंम्भिक शिक्षा मुहैया करना, इसका उद्देश्य ग़ैर पहुँच वाले क्षेत्रों और विशेष वैचारिक नीति और कानूनी ढ़ाचों का प्रबंध, विशेष आवश्यकता समूहों के लिए बुनियादी शिक्षा मुहैया कराना हैं। बालश्रम केद्रित अभ्यासों (प्रथाओं) को सुधारने एवं अभिग्रहण करने जैसे विशेष हस्तक्षेप और रणनीतियाँ, लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कामकाजी बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों, शहरी वंचित बच्चे, अल्पसंख्यक समूह के बच्चें, ग़रीबी रेखा से नीचे के बच्चों, प्रवासी बच्चे और कठिन पहुँच समूहों पर केन्द्रित हो।

केन्द्रिय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा बालिका शिक्षा, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली और समावेशी शिक्षा पर समिति का 8 दिसम्बर

2004 को गठन किया गया, समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 2005 में प्रस्तुत की। समिति ने तीन मुद्दों-1. बालिका शिक्षा, 2. सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली एवं 3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशी शिक्षा, पर चर्चा की। समिति विशेष आवश्यकता के मुद्दों पर चर्चा करते हुऐ कहती है कि इसका उद्देश्य स्कूल प्रणाली, छात्र समुदाय और अभिभावकों को बड़े पैमाने पर तैयार करना होना चाहिए, ताकि वे स्थिति को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकें। यानि सब यह मान सकें कि जिन स्कूलों में उन बच्चों को रखना है जिन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत है, वहां के शिक्षकों को पेशेवर रूप से उस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। हालांकि इसमें समय और संसाधन लगेगा, लेकिन अग्रणी स्कूलों, निजी या सरकारी, की पहचान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और समावेशी शिक्षा का तरीका दिखना चाहिए।

विशेष आवश्यकता (दिव्यांगों) वाले व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया, इस नीति का निर्माण विशेष आवश्यकता (दिव्यांग) वाले व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण एवं समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से हुआ। इस नीति में कुछ प्रमुख मुद्दों की चर्चा की गई है, जैसे कि- दिव्यांगता की रोकथाम के लिए कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया हैं, नीति में बताया गया हैं कि पुर्नवास कार्यवाही तीन समूहों में होगी- 1. सामाजिक पुर्नवास, 2. शैक्षिक पुर्नवास, 3. आर्थिक पुर्नवास। विशेष आवश्यकता वाली (दिव्यांग) महिलाओं के संदर्भ में इस नीति में बताया गया कि विशेष आवश्यकता वाली (दिव्यांग) महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं सरकार विशेष आवश्यकता वाली (दिव्यांग) महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि ये अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए सेविकाओं को किराए पर ले सकें, ऐसी सहायता दो बच्चों तक सीमित होगी और दो वर्षो से अधिक नही होगी। विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के परिप्रेक्ष्य में नीति में बताया गया कि- सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण व सुरक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करे तथा ये लोग समान अवसर एवं पूर्ण सहभागिता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें साथ ही विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों को विशेष पुर्नवास सेवाओं के साथ शिक्षा, स्वस्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति प्रभावी पहुँच और विशेष आवश्यकता का समावेशन सुनिश्चित करें। विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर बाधा मुक्त वातावरण बनाना। निःशक्तता (दिव्यांगता) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) व्यक्तियों के बारे में नियमित सूचना का संग्रहण करना, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों (दिव्यांगों) के लिए समावेशन हेतु एवं जीवन स्तर सुधार हेतु शोध कार्यों को सहायता प्रदान करना, का प्रावधान किया गया। नीति में महत्वपूर्ण बात बताई गई कि विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) व्यक्तियों से जुड़े हुए अधिनियमों जैसे- आर.सी.आई. एक्ट-1992, पी.डब्लू.डी. एक्ट-1995 और एन.टी. एक्ट-1999 में समय-समय पर संशोधन करना, विकलांगों (दिव्यांगों) का उपयुक्त कौशल विकास करके निजी क्षेत्रों में रोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जाना, अनेकों शिक्षा विकल्प, मुक्त शिक्षा और खुला विद्यालय, वैकल्पिक शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, विशेष विद्यालय, गृह आधारित शिक्षा, परिभ्रमि अध्यापक प्रतिमान, उपचारी शिक्षा, अंशकालीन कक्षाएं, समुदाय आधारित पुर्नवास और व्यावसायिक शिक्षा द्वारा विकलांगों (दिव्यांगों) को शिक्षित एवं कार्य कुशल बनाया जाए। आदि समावेशन एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रावधान इस नीति में किये गये हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का पूरा नाम- बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिर्वाय शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है। यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित एवं 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किये जाने के प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (क) में वर्णित है। इस अधिनियम के लागू करने के पश्चात भारत विश्व के उन 135 राष्ट्रों में शामिल हो गया जहां शिक्षा मूल अधिकार के रूप में है। यद्यपि हम विशेष आवश्यकता (दिव्यांग) बच्चों के संदर्भ में बात करे तो इस अधिनियम में विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों से संबंधित स्पष्टतया एक अलग वर्ग के रूप में सम्मिलित नही किया गया है किन्तु अध्याय प्रथम के खण्ड दो (घ) में 'अलाभकारी समूह के बच्चे (children belonging to disadvantaged group) के बारे में चर्चा की गई है। और बताया गया है कि उपयुक्त सरकार अधिसूचना के द्वारा स्पष्टीकरण करके किसी समूह को जो दूसरे कारण से अलाभान्वित है को इस लाभ में सम्मिलित कर सकती है। साथ ही अध्याय दो के भाग दो में वर्णित है कि विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा तथा समान भागीदारी, संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित किया जाये, साथ ही पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995 भी विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों को प्रारंम्भिक शिक्षा के निःशुल्क एवं अनिर्वाय देने की बात करता है।

सन् 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का संशोधित स्वरूप 28 दिसम्बर 2016 को पारित हुआ एवं 19 अप्रैल 2017 को लागू हो गया। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 13 दिसम्बर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों के वर्णन के आधार पर निर्माण किया गया हैं, इस अधिनियम में 21 श्रेणी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विभाजित किया गया। इस अधिनियम में समावेशी दर्शन के विकास हेतु प्रमुख प्रावधानों का वर्णन किया गया जैसे कि- अध्याय प्रथम के भाग-2 (ड) में वर्णित है कि 'समावेशी शिक्षा' से ऐसी शिक्षा पद्धति अभिप्रेरित है जिसमें दिव्यांगता युक्त और दिव्यांगता रहित विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षण एवं शिक्षा की पद्धति, विभिन्न प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित

रूप से अनुकूलित की गई है। (पृष्ठ. 3) अध्याय दूसरे के खण्ड (3) में बताया गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। समावेशी समाज में निर्माण की बात की गई है। खण्ड (4) में बताया गया है कि सरकार एवं स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित कर उपाय करेंगे कि दिव्यांग स्त्री एवं बच्चे अन्य लोगों की भांति अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें। खण्ड (5) दिव्यांग व्यक्तियों को समुदाय में, समुदाय के साथ में जीने का अधिकार होगा। खण्ड (7) सरकार दिव्यांगों को हिंसा, शोषण से संरक्षित करेगी। अध्याय तीसरे में दिव्यांगों की शिक्षा एवं शैक्षिक समावेशन के मुद्दों का वर्णन मिलता है, यथा- बिना भेदभाव के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, अन्यों के समान खेल एवं मनोरंजन के अवसर प्रदान करना, भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुँच बनाना, दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए समावेशी वातावरण का सृजन करना, समावेशी शिक्षा को संव र्धित करने और सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा में सहायता हेतु वृत्तियों और कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षित करना एवं सहायता हेतु संसाधन केन्द्रों की स्थापना करना आदि संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

परिचर्चा

उपर्युक्त हिस्से में जब हमने सभी शिक्षा नीतियों एवं दस्तावेज़ों का विश्लेषण किया, तब हमने समावेशी शिक्षा के विकास क्रम को दो भागों में विभाजित कर परिभाषित किया। इनमें से पहला भाग 21वी शताब्दी के पूर्व किए गए प्रयासों एवं प्रावधानों के वर्णन से संबंधित है। शोध परिचर्चा के दूसरे भाग में 21वी शताब्दी से किये गए प्रयासों एवं प्रावधानों का वर्णन किया गया है। प्रथम भाग में हम 20 वीं शताब्दी की चर्चा करेंगे, इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग-1952-53, कोठारी आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम-1987, आर.सी.आई. एक्ट- 1992, पी.डब्लू.डी. एक्ट- 1995, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के विश्लेषण के पश्चात् कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी में विशेष शिक्षा को अलग से उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया। किन्तु शताब्दी के मध्य में धीरे-धीरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी मुख्य धारा समाज के बच्चों के साथ शिक्षा देने की बात प्रारम्भ कर दी गई थी। शताब्दी के मध्य भाग के बाद चलन क्रिया, दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों से एकीकृत करने का प्रयास प्रारम्भ हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप ही एकीकृत शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। शताब्दी के अंत तक एकीकृत शिक्षा के स्थान पर समावेशी शिक्षा की चर्चा प्रारम्भ हो गई। क्योंकि एकीकृत शिक्षा के परिणाम सुखद नहीं प्राप्त हुए। एकीकृत शिक्षा व्यवस्था ने केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का काम तो कर दिया किन्तु समस्या जस की तस बनी रही। समस्या थी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज द्वारा स्वीकृत किया जाना या इन्हें इस काबिल बनाना की ये बच्चे समाज का एक अभिन्न अंग बन सकें, किन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हुए जैसे कि इन्हें न समाज द्वारा पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हुई न ही ये समाज के भागीदार बन सके केवल समाज ने हमेशा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बोझ के रूप में लिया। किन्तु विशेष आवश्यकता प्रयासों का परिणाम यह हुआ की समाज की अभिवृत्ति में परिवर्तन आना शुरू हो गया इसी के परिणाम स्वरूप शुरूआती दौर में अलग-अलग शिक्षा की बात की गई थी।

- ✓ दूसरे भाग में 21वीं शताब्दी के प्रारम्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के किये गए प्रयासों एवं विकास की चर्चा की गई है, कि सर्व शिक्षा अभियान, बालिका शिक्षा, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली एवं समावेशी शिक्षा पर समिति-2004, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति -2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और आर.पी.डब्लू.डी. एक्ट-2016 के विश्लेषण के पश्चात् कहा जा सकता है कि 21 वीं शताब्दी में अति गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चों के लिए ही केवल विशेष शिक्षा के प्रावधानों पर बल दिया गया। साथ ही अन्य कम गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के प्रावधान पर पूर्ण बल दिया गया। भारत में अधिकांशतः सामान्य विद्यालयों को ही समावेशी विद्यालयों में परिवर्तित किया गया। भारत द्वारा संचालित कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा का पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन उदाहरण साबित होता है यद्यपि हम समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांतों पर दृष्टिपात करते है। क्योंकि समावेशी शिक्षा ने विशेषतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्कूलों तक पहुँच को सुलभ करने में निर्याणक भूमिका निर्वहन किया। यही कार्य सर्व शिक्षा अभियान ने भी किया कि अधिकांशतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालय तक पहुँच को सुलभ बनाया।

अन्त में

अन्त में कहा जा सकता है कि भारत में विकलांगों से संबंधित कानूनी प्रावधान बदले हैं। हम 19441 में सार्जेंट रिपोर्ट के सुझाव, कि कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा यदि किसी विशेष विद्यालय के अनुकूल है तभी उस बच्चे को संबंधित विशेष विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, से बहुत आगे आ गए हैं। तब से आज तक की नीतियों, अधिनियमों एवं दस्तावेज़ों को देखने पर उनमें समावेशी शिक्षा के विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। कोठारी आयोग (1966-68) ने विशेष आवश्यकता वाले लोगों की शिक्षा को शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग माना। परन्तु उसमें व्यक्त समझ और दृष्टि भी बाद की समझ से अलग है। जैसे

1 कांडपाल, केवलानंद. (2013). समावेशनः चुनौती एवं समाधान, खोजे और जानें, उदयपुर, वद्यिाभवन सोसायटी, अंकः7, पृष्ठसंख्याः36.

की प्रारम्भ में समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा के रूप में थी जिसमें सिर्फ ख़ास तरह की विशेषताओँ को देखा गया था और प्रयास मात्र यह किया था कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शिक्षा से दूर थे किसी तरह उन्हें विद्यालय तक पहुंचा दिया जाए, लक्ष्य उनकी पहुंच सुलभ करने का ही था। पर बाद में सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय से जोड़ने की बात की गई जिससे ये बच्चे समाज का अभिन्न अंग बन सकें। किन्तु 21वीं शताब्दी के प्रारम्भ होने के बाद समाकेतिक शिक्षा समावेशी शिक्षा में परिवर्तित हो गयी जिसमे केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय तक पहुँच को सुलभ बनाना ही नहीं अपितु एक ऐसे वातावरण में शिक्षा प्रदान करना कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सर्वंगीण विकास हो सके। इस बारीक किन्तु महत्वपूर्ण अन्तर को पहचानना ज़ रूरी है।

सन्दर्भ सूची

- ✓ अग्रवाल, जे. सी. (2013). लैंडमार्क विशेष आवश्यकता, द हिस्ट्री आफ मार्डन इण्डियन एजूकेशन, नोयडा, विकास पब्लिसिंग हाऊस, (सातवां संस्करण).
- ✓ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय. (2017). ड्राफ्ट आफ राईट आफ पर्सन्स विंथ डिसेबि लिटी एक्ट 2017, नई दिल्ली, भारत.
- ✓ भारत सरकार, कानून एवं न्याय मंत्रालय. (2016). दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, नई दिल्ली, भारत.
- ✓ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2010). निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, नई दिल्ली, भारत.
- ✓ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2010). सेंट्रल स्पांसर स्कीम आफ इन्क्लूसिव एजुकेशन आफ द डिसेबल्ड एट् सेकन्ड्री स्टेज, नई दिल्ली, भारत. प्राप्ति स्त्रोत: http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/EDU.pdf
- ✓ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2010). स्कीम आफ इन्ट्रीग्रेटेड एजूकेशन फार द डिसेब्ल चिल्ड्रेन, नई दिल्ली, भारत.
- ✓ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय. (2006). राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006, नई दिल्ली, भारत.
- ✓ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2005). रिपोर्ट ऑफ़ द कैब कमेटी आन गल्स एजूकेशन एण्ड द कामन स्कूल सिस्टम, नई दिल्ली, भारत.
- ✓ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय. (1999). द नेशनल ट्रस्ट फ़ॉर द बेलफेअर ऑफ़ पर्सन्स विंथ आस्टिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबि लिटी एक्ट 1999, नई दिल्ली, भारत, राष्ट्रीय न्यास.
- ✓ भारत सरकार, कानून, न्याय एवं कंपनी मामला मंत्रालय. (1995). पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995, नई दिल्ली, भारत. प्राप्ति स्त्रोत:http://www.disabili_tyaffairs.gov.in
- ✓ भारत सरकार, कानून, न्याय एवं कंपनी मामला मंत्रालय. (1992). द रिहैबिलिटेशन कांउसिल आफ इण्डिया एक्ट 1992, नई दिल्ली, भारत.
- ✓ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (1986). राष्ट्रय शिक्षा नीति 1986, चण्डीगढ़, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रालय.
- ✓ भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (1953). रिपोर्ट ऑफ़ द सेकन्ड्री एजूकेशन कमीशन, मद्रास, जुपीटर प्रेस.
- ✓ भारत सरकार. (2016). अक्षमता युक्त व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016, नई दिल्ली, न्याय एवं कानुन मंत्रालय, पृष्ठ संख्या: 8 एवं 9.
- ✓ यादव, अ. (2019). सामावेशी शिक्षा का विकास. (प्रथम संस्करण) नई दिल्ली, नोसन प्रेस एक्सप्रेस पब्लिसिंग.
- ✓ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2006). पोजिशन पेपर नेशनल फोकस ग्रुप आन एजूकेशन ऑफ़ चिल्ड्रेन विंथ स्पेशल नीड्स, नई दिल्ली, भारत, प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.
- ✓ लिंडसेय, कैथरिन गिर्फाड. (2007). इन्क्लूसिव एजूकेशन विशेष आवश्यकता इण्डिया: इन्टरप्रेशन, इम्पीलिकेशन एण्ड इसूज, ब्रिट्रेन, यूनिर्वसिटी ऑफ़ ससेक्स, सेन्टर फार इन्टरनेशनल एजूकेशन.